कानपुर नगर निगम

दिनांक 09.07.2018 की स्थगित बैठक जो दिनांक 10.07.2018 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक

का कार्यवृत्त

स्थानः नगर निगम समिति कक्ष,मोतीझील,कानपुर

कार्यालय सचिव नगर निगम
नगर निगम,कानपुर

पत्र संख्या :–डी / 96 / सचिव (न0नि0) / 2018–19 दिनांक :– 23-07-2018

सेवा में,

मा0 श्री / श्रीमती...........................

पार्षद वार्ड सं0........... / सदस्य कार्यकारणी

महोदय / महोदया,

दिनांक 09.07.2018 की स्थगित मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक जो दिनांक 10.07.2018 को आहूत की गयी बैठक का कार्यवृत्त आपकी सेवा में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक :– कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 01 से 31 तक।

सचिव
नगर निगम,कानपुर

प्रतिलिपि :–

1.नगर आयुक्त महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
2.अपर नगर आयुक्त (प्रथम / द्वितीय) महोदय को सूचनार्थ।
3.समस्त विभागाध्यक्ष / विभागीय अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर निगम,कानपुर

दिनांक–09.07.2018 की स्थगित कार्यकारिणी समिति की बैठक, जो दिनांक 10.07.2018 को पूर्वान्ह 11:00 बजे नगर निगम मुख्यालय स्थित समिति कक्ष में सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त :–

उपस्थिति

1. श्रीमती प्रमिला पाण्डेय	महापौर / सभापति
2. श्री नवीन पण्डित	पार्षद / उप सभापति
3. श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू'	पार्षद / सदस्य
4. श्री मो0 अमीम	पार्षद / सदस्य
5. श्री जयप्रकाश पाल	पार्षद / सदस्य
6. श्री जितेन्द्र	पार्षद / सदस्य
7. श्री संतोष साहू	पार्षद / सदस्य
8. श्री विजय यादव	पार्षद / सदस्य
9. श्री गोपाल गुप्ता	पार्षद / सदस्य
10. श्री गुरू नारायण गुप्ता	पार्षद / सदस्य
11. श्री अभिषेक गुप्ता	पार्षद / सदस्य
12. श्रीमती रीता पासवान	पार्षद / सदस्य
13. श्री लियाकत अली	पार्षद / सदस्य

अधिकारीगण

1. श्री संतोष कुमार शर्मा	नगर आयुक्त
2. श्री अमृतलाल बिन्द	अपर नगर आयुक्त 'प्रथम'
3. श्री अरविन्द राय	अपर नगर आयुक्त 'द्वितीय'
4. श्री रमेश चन्द्र निरंजन	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
5. श्री संजय सिन्हा	महाप्रबन्धक 'जलकल'
6. श्री ए0के0सिंह	प्रभारी मुख्य अभियन्ता 'सिविल'
7. डॉ0 पंकज श्रीवास्तव	नगर स्वास्थ्य अधिकारी
8. डॉ0 अमित सिंह गौर	नगर स्वास्थ्य अधिकारी 'चि0'
9. डॉ0 ए0के0सिंह	पशु चिकित्साधिकारी
10. श्री आर0के0पाल	पर्यावरण अभियन्ता

सभापति ने नगर आयुक्त को एजेण्डानुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिये।

नगर आयुक्त ने मा0 सभापति जी एवं कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों का नगर निगम की ओर से स्वागत करते हुये अपर नगर आयुक्त 'प्रथम' को निर्देशित किया कि वह एजेण्डा पढ़कर समिति के सदस्यों को अवगत करायें।

अपर नगर आयुक्त 'प्रथम' ने समिति के सदस्यों को एजेण्डा पढ़ते हुये तद्नुसार प्रस्तावों पर विचार करने का अनुरोध किया।

प्रस्ताव संख्या–51

श्री प्रवीण उपाध्याय,उपाध्यक्ष,कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

ह0..............महापौर

विषयः– आपके सम्मानित संगठन को मुख्य बैंकिंग सेवाए प्रदान करना।

हम कोटक महिंद्रा बैंक जो कि को भारत के अग्रणी वित्तीय संस्थानों में से एक, आपके सम्मानित संगठन को पूरे वित्तीय समाधान की पेशकश करते हैं जिसमें हर क्षेत्र शामिल हैं। वाणिज्यिक बैंकिंग शेयर ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड, निवेश बैंकिंग, समूह व्यक्तियों, कॉपोरिट समूहों, संस्थानों, केंद्रीय/राज्य सरकार संगठनों और विभागों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करता हैं

हम कोटक आपको विशेष रूप से आपके लिए डिजाइन की निम्नलिखित
बैंकिग सुविधाओं का एक हिस्सा प्रदान करते हैं।

- **भौगोलिक टैगिंग के माध्यम से संपत्ति माप और सर्वेक्षण***
- **बचत खाते की ब्याजः दैनिक आधार पर 5.5% प्रति दिन के बाद 1 करोड़ तक दैनिक आधार पर 6% प्रति दिन ब्याज मुहैया कराएंगे**
- **मुफ्त नकद पिकअप और वितरण**
- **निःशुल्क नेट बैंकिग**
- **निशुल्क (RTGS) REAL TIME GROSS SETTLEMENT**
- **MIS-** दैनिक/सप्ताहिक/मासिक वक्तव्य के रू॰ में आवश्यक एमआईएस समझौते के अनुसार प्रदान किया 5जाएगा। यदि आवश्यक हो तो हम कथन के दैनिक फैक्स /ई–मेल की भी व्यवस्था कर सकते हैं
- **समर्पित रिलेशनशिप मैनेजर** : एक रिलेशनशिप मैनेजर को खाते मे नामित किया जाएगा और आपकी बैंकिंग जरूरतों का ख्याल रखने के लिए नियमित रूप से आपके अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में रहेगा।

कोटक महिंद्रा बैंक के पास 1400 शाखाओं ओर 2500 एटीम का नेटवर्क है, जो पूरे देश में 700 प्लस स्थानों पर फैले हुए है, जो पूरी तरह से नेटवर्क किए गए है और केंद्रीकृत डेटाबेस से जुड़े हुए है।

हमने " सरकारी व्यवसाय " समूह नामक एक विशेष प्रभाग संस्थागत बनाया है जो सरकारी संगठनों और जिला परिषद/पंचायत समिति, नगर निगमों, केंद्रीय / राज्य सरकार के विभागों/ उपक्रमों और आवास, औद्योगिक और विकास जैसे स्थानीय सरकार को सामान्य बैंकिंग समाधान और सेवाओं को प्रस्तुत करने के अलावा। बैंकिंग समूह सरकारी निकाय, सरकार को सामान्य बैंकिंग समाधान और सेवाओं को प्रस्तुत करने के अलावा । बैकिंग समूह सरकारी व्यापार गतिविधयों जैसे कि केंद्रीय / राज्य के संग्रह में भी शामिल हैं।

ह0..............महापौर

भौगोलिक टैगिंग के माध्यम से संपत्ति माप और सर्वेक्षण खाली भूखंडो,भवनों/घरों की कुल संख्या और प्रत्येक भवन /घर के लिए फर्श की संख्या का आंकलन करेगा जो कानपुर,यू0पी0 के नगर पालिका निगम क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

हम इस प्रकार समझौते की प्रति संलग्न कर रहे है जिसे हमने विक्रेता के साथ हस्ताक्षर किया है,यह समझौता उन गतिविधियों के दायरे का विवरण देता है जो संपत्ति टैग माप और जियो टैगिंग के माध्यम से सर्वेक्षण करते समय कवर किये जाएंगे,यदि समझौते में शामिल गतिविधियॉ आपकी आवश्यकता के अनुरूप है,और हम काम शुरू करने के लिये विक्रेता से पूछेंगे।

अंत में,यह आपके बढ़ते व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे विभिन्न बैंकिंग उत्पादों को नवाचार और अनुकूलित करने का हमारा निरंतर प्रयास रहा है। इन सेवाओ के साथ हम आपके सभी बैंकिग रिश्तों जैसे संग्रह खाते ,स्मार्ट सिटी अकाउंट,नममी गेंज,स्वैच भारत मिशन अकाउंट,अमृत और पीएमआई के लिए आपका पंसदीदा बैंकर होगे।

हमारी विशेषज्ञता कोटक में ,हमने अपने अनुभव के माध्यम से ,ग्रहक के विभिन्न बैंकिग आवश्यकताओ और निवेश के रास्ते में निवेश सलाहकार के अनुकूलित सभाधान तैयार करने में महत्वपूर्ण विशेषज्ञता प्राप्त की है। इसलिए हमारा प्रयास वित्तीय ग्राहकों की पूरी श्रृंखला के साथ हमारे ग्राहकों को प्रदान करना है।
वास्तव में, आपके संगठन से जुड़े रहने के लिए यह एक बड़ा विशेषाधिकार होगा।

श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' ने कहा कि यह प्राइवेट बैंक है, इससे नगर निगम खातों का संचालन करना अनुचित है, जबकि हमारे पास सरकारी बैंक भी है और ऐसे में प्राइवेट बैंक में नगर निगम खातों को खोलना ठीक नही है।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने मा0 कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को अवगत कराया कि नगर निगम के 63 खाते संचालित है, जिनमें कुछ खातों का संचालन एच0डी0एफ0सी0 बैंक, आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक आदि से भी हो रहा है। जबकि शासन द्वारा बार–बार निर्देशित किया जाता है कि खाते कम किये जाये।

श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' ने कहा कि अनावश्यक रूप से इस चीज को बढ़ाना ठीक नही है।

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि चूँकि पूर्व से प्राइवेट बैंक नगर निगम के साथ कार्य कर रहे है और नगर निगम को अधिक ब्याज दे रहे है, तो इन्हें भी अवसर दिया जाना चाहिये।

ह0..............महापौर

सभापति ने कहा कि यदि बैंक द्वारा नगर निगम को सारी सुविधायें दी जा रही है, तो उसे खातों का संचालन दिये जाने में कोई आपत्ति नही होनी चाहिये।

.... **स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।**

प्रस्ताव संख्या–52

श्री जितेन्द्र गांधी , पार्षद द्वारा प्रस्तुत एंव 04 पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचारार्थ प्रस्तुत :–

प्रस्ताव

महोदया,

कानपुर के विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी/अर्द्ध सरकारी एवं निजी संस्थानों द्वारा अपनी सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु रोड कटिंग करते हुये फाइबर ऑटिकल केबल डाली जा रही है। तत्सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा निर्गत रोड कटिंग की अनुमति के सापेक्ष मानक एवं गुणवत्ता के अनुसार कार्य नही कराये जाने से नागरिकों को अवस्थापना सुविधाओं (सीवर–पेयजल) से वंचित होना पड़ता है तथा यातायात भी प्रभावित होता है। अतः माननीय महापौर जी से रोड कटिंग की अनुमति/अनुमोदन प्राप्त किया जाये और तद्नुसार रोड कटिंग की अनुमति/अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

श्री जितेन्द्र गाँधी ने कहा कि प्राइवेट कम्पनियों के द्वारा पूरे महानगर में मनमाने ढंग से रोड कटिंग की जा रही है। जिस पर अंकुश लगाया जाना अत्यधिक आवश्यक है।

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि प्राइवेट कम्पनियों द्वारा नगर निगम में बैंक ड्राफ्ट जमा कर मनमाने ढंग से रोड कटिंग की जाती है और कार्य करने के उपरान्त उसे वैसे ही खुदा हुआ छोड़कर चले जाते है। इस पर अंकुश लगाते हुये पहले उन कम्पनियों द्वारा खोदी गई सड़कों की मरम्मत करवाये जाने की शर्त को विशेष रूप से उल्लिखित किया जाये, जिसका सख्ती से अनुपालन कराया जाये।

श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू' ने कहा कि पूर्व में प्राइवेट कम्पनियों द्वारा नगर निगम से क्षेत्र में रोड कटिंग की अनुमति लेकर, उस रोड कटिंग का चार्ज नगर निगम में जमा करने के उपरान्त रोड कटिंग की जाती थी, स्थल का नक्शा भी साथ में संलग्न किया जाता रहा है, परन्तु अब बिना अनुमति के कई कम्पनियों द्वारा महानगर में रोड कटिंग की जा रही है, जो कि अनुचित है। इस प्रकार की अनियमितता पर अंकुश लगाया जाना नितान्त आवश्यक है।

नगर आयुक्त ने श्री आर0के0सिंह को स्थिति से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया।

ह0..............महापौर

श्री आर0के0सिंह, जोनल अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्य सचिव द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–72/नौ–9–2018–161ज/12 दिनांक–08 फरवरी, 2018 में प्राविधानित व्यवस्था के तहत प्रति किलो मीटर रू0 1000/– की धनराशि प्रशासनिक व्ययों हेतु जमा कराये जाने को उल्लिखित किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क देय नही होगा, साथ ही दो महीने में अनुमति निर्गत करनी आवश्यक होगी अथवा समुचित लिखित कारण बताते हुये अस्वीकृत करना होगा तथा 60 दिवसों के उपरान्त deemed अनुमति मानी जायेगी।

श्री अभिषेक गुप्ता ने कहा कि प्राइवेट कम्पनियों द्वारा रोड कटिंग में अनियमितता किये जाने के बावजूद भी नगर निगम द्वारा उनकी बैंक गारन्टी जब्त नही की जाती है।

नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन न किया जाये। अधिनियम में प्राविधानित व्यवस्था के तहत ही कार्यवाही की जाये। मा0 सभापति द्वारा इस सम्बन्ध में एक समिति का गठन किया जाना समीचीन होगा।

सभापति ने कहा कि रोड कटिंग की क्षेत्रीय पार्षद से सहमति ली जाये तब रोड कटिंग की अनुमति दी जाये तथा रोड कटिंग की धनराशि से उसकी मरम्मत कराई जाये।

श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू' ने कहा कि प्राइवेट कम्पनियों द्वारा रोड कटिंग करते समय हमारी अवस्थापना सुविधाओं को क्षतिग्रस्त कर देते है यथा अण्डर ग्राउण्ड वाटर लाईनें भी तोड़ दी जाती है, जिससे वाटर लाईनों में गंदा पानी आने लगता है। अतः खुदाई करने से पूर्व जलकल विभाग से सम्पर्क कर उनसे अनापत्ति लेने के उपरान्त ही रोड कटिंग की अनुमति दी जाये।

सभापति ने नगर आयुक्त से कहा कि सरकारी/अर्द्ध सरकारी तथा प्राइवेट कम्पनियों द्वारा रोड कटिंग करके कोई भी लाईन डाली जानी हो, तो उनके अधिकारियों को बुलाकर वार्ता कर ली जाये, तद्उपरान्त खुदाई की अनुमति दी जाये। इसी परिप्रेक्ष्य में सुगम यातायात हेतु समिति का गठन सुनिश्चित किया जाये।

.... **सभापति के निर्देशन में रोड कटिंग विषयक समिति गठित किये जाने में क्षेत्रीय पार्षद एवं खण्ड का अभियन्ता को नामित किये जाने का निर्णय लिया गया।**

<u>प्रस्ताव संख्या–53</u>

श्री महेन्द्र पाण्डेय (पप्पू) ,पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

<u>प्रस्ताव</u>

वार्ड सं0 40 विष्णुपुरी के अर्न्तगत दुर्गावती स्कूल जो स्व0 ज्ञान चन्द्र अग्रवाल जी का है, उक्त रोड का नामकरण अभी तक नही हुआ है।
अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त रोड का नामकरण स्व0 डा0 ज्ञानचन्द्र अग्रवाल करने हेतु प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
नगर आयुक्त ने मुख्य अभियन्ता 'सिविल' को निर्देशित किया कि परीक्षण करा ले कि उक्त मार्ग का पूर्व से कोई नामकरण तो नही है।

.... **परीक्षणोपरान्त अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।**

ह0.............महापौर

प्रस्ताव संख्या–54

नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 24.04.18 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ निम्नवत् प्रस्तुत है :–

प्रस्ताव

कृपया अवगत हों कि दिव्यांग डेवलेपमेन्ट सोसाइटी की सचिव मनप्रीत कौर नें दर्शनपुरवा मेटरनिटी सेन्टर के प्रथम तल में रिक्त स्थान को **दिव्यांगों बच्चों के हितार्थ निःशुल्क कम से कम 20 वर्ष के लिए उपलब्ध कराये** जाने के अनुरोध किया है साथ ही अपने पत्र में कहा है कि वह केवल **विद्युत पर होने वाला व्यय ही वहन कर सकतीं है।** इस स्थान का वह उचित प्रयोग करते हुए दिव्यांग बच्चों को शिक्षा, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, सिलाई आदि उनके उपयोगी प्रशिक्षण देने के लिए उपयोग करेंगी। सचिव के अनुरोध पर प्रमुख विधि परामर्शी ने अपने अभिमत में कहा है कि **"कार्य क्षेत्र व उद्देश्य पूर्ति के लिए दिव्यांग डेवलेपमेन्ट सोसाईटी कानपुर को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनकी संस्था का कार्य क्षेत्र व उद्देश्य मा0महापौर जी एवं नगर आयुक्त महोदय की देख रेख में रहेगा और नगर आयुक्त महोदय उनके कार्य क्षेत्र एवं उद्देशय का निरीक्षण कभी भी कर सकते हैं तथा उससे सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच या सुनिश्चित कि संस्था द्वारा सम्पूर्ण कार्य व आयोजन नगर निगम अधिनियम के अर्न्तगत है, करने के लिए कर सकते हैं। संस्था द्वारा किसी भी प्रकार से अनुचित लाभ किसी भी रूप में नहीं लिया जा रहा है और स्थल किसी भी संस्था को दिया जा स्थल किसी भी रूप में हस्तांतरित नहीं किया जा रहा है बल्कि नगर निगम के कार्य क्षेत्र एवं उद्देश्य के लिए उपयोग किया जायेगा। संस्था द्वारा नगर निगम के कार्य क्षेत्र एवं उद्देश्य को पराजित करने के लिए कोई कार्य नहीं किया जायेगा एवं नगर आयुक्त महोदय का निर्णय ही अंतिम व मान्य होगा यदि उचित पाया जाता है कि उपरोक्त के तहत कार्यवाही करने के लिए नगर आयुक्त महोदय विचार कर सकते हैं।"**

प्रमुख विधि परामर्शी के अभिमत क्रम में दर्शनपुरवा मेटरनिटी के प्रथम तल पर रिक्त स्थान दिव्यांग डेवलेपमेन्ट सोसाईटी को दिव्यांग बच्चों के हितार्थ उपलब्ध कराये जाने के लिए मा0कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति आवश्यक है।

उपरोक्त प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' ने कहा कि समय सीमा अधिक रखी गई है, जिस पर विचार किया जाना उचित नही है।

.... **सर्वसम्मति से प्रस्ताव निरस्त किया गया।**

प्रस्ताव संख्या–55

श्री अर्पित यादव ,पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

ह0..............महापौर

प्रस्ताव

सादर अवगत कराना है कि पूर्व में दिनांक 03.09.2015 को मा0 कार्यकारिणी द्वारा बारातशाला की पत्रावली सं0–डी/546–A/05 (11.02.16) स्वीकृत हुई। जिसका टेण्डर हुआ और वर्क आर्डर जारी हो गया और ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। परन्तु उसमें बजट न लगे होने के कारण कार्य पिछले 10 माह से बन्द है। क्षेत्र की जनता में रोश है।

अतः माननीय जी से अनुरोध है कि उक्त पत्रावली को बजट लगवाकर कार्य प्रारम्भ कराने का कष्ट करें।

सभापति ने कहा कि पहले ठेकेदार को बुला लिया जाये कि उसने किस कारण से कार्य बन्द किया है।

नगर आयुक्त ने अधिशाषी अभियन्ता जोन–5 को स्थिति से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया।

अधिशाषी अभियन्ता जोन–5 ने अवगत कराया कि नगर निगम निधि बजट न होने के कारण कार्य नही कराया जा पा रहा है, धन उपलब्धता पर कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

.... **धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जाये।**

प्रस्ताव संख्या–56

श्री नवीन पंडित, पार्षद (उप सभापति) एव अन्य मा0 पार्षद गण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत :–

विषय :– चावला मार्केट से नंदलाल चौराहे के बचि की सड़क का नाम के.पी. मिश्रा मार्ग रखे जाने के संदर्भ में।

आपको अवगत कराना है कि चावला मार्केट से नंदलाल चौराहे के बचि की सड़क का कोई भी नाम नहीं है मेरा प्रस्ताव है कि इस सड़का का नाम के.पी.मिश्रा मार्ग कर दिया जाए। के.पी.मिश्रा जी वरिष्ठ कग्रेसी नेता थे पी.सी.सी. मेम्बर थे प्रदेश के प्रवक्ता भी रहे है और समाज सेवी व्यक्ति थे।

अतः उक्त सड़क का नाम के.पी.मिश्रा मार्ग रखे जाने का प्रस्ताव पास करने की कृपा करें।

.... परीक्षणोपरान्त अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

प्रस्ताव संख्या–57

श्री नवीन पंडित, पार्षद (उप सभापति) एव अन्य मा0 पार्षद गण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत :–

ह0..............महापौर

आपको अवगत कराना है कि लेबर कालोनी वार्ड नं0–93 में राधेश्याम मंदिर के सामने 1 छोटा सा पार्क है जिसका कोई नाम नहीं है मंदिर के लोग ही पार्क की देख रेख करते है कुछ अराजक तत्व बैठकर शराब पीते है मंदिर में आने वाली माताओं बहनो से अश्लीलता करते है मना करने पर मंदिर के पुजारी व कमेटी के लोगों से गाली गलौज करते है क्षेत्र वासियो व मंदिर कमेटी के लोगो ने निवेदन किया है कि उक्त पार्क को राधेश्यमाम पार्क कर दिया जाए और मंदिर कमेटी के लोगों को देख–रेख आदेश दे दिया जाए।

.... **नगर निगम की शर्तो के अधीन राधेश्याम मन्दिर की समिति को पार्क के नामकरण के साथ पार्क की देख–रेख करने के लिये स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–58

श्री अश्वनी कुमार चड्ढा ,पार्षद एव श्री लियाकत अली मा0 पार्षद/सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

विषय :– स्व0 कैप्टन सिद्धार्थ तिवारी पार्क के चारो तरफ की सड़क बनबाने हेतु।

निवेदन है कि हमारे वार्ड.48 के पास स्व0 कैप्टन सिद्धार्थ तिवारी पार्क के चारो तरफ की सड़क काफी खराब है जिसका बनना अति आवश्यक है।

अतः पार्क के चारो तरफ की सड़क बनवाने का प्रस्ताव कार्य कारिणी से पास करने की कृपा करें।

.... **धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जाये।**

प्रस्ताव संख्या–59

श्री अश्वनी कुमार चड्ढा ,पार्षद एव श्री लियाकत अली मा0 पार्षद/सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

विषय :– स्व0 अविनाश भदौरिया पार्क के चारो तरफ की सड़क व फुटपाथ बनबाने के संदर्भ में।

निवेदन है कि हमारे वार्ड. 48 अविनाश भदौरिया पार्क के चारो तरफ की सड़क व फुटपाथ काफी जर्जर है जिसका बनना जनहित में अति आवश्यक है।

ह0..............महापौर

अतः पार्क के चारो तरफ की सड़क व फुटपाथ बनवाने का प्रस्ताव कार्य कारिणी से पास करने की कृपा करें।
.... **धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जाये।**

प्रस्ताव संख्या–60

श्री मदन मोहन भरतिया,संचालक रामचरण भरतिया योग साधना केन्द्र द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

विषय :– **रामचरण भरतिया योग साधना केन्द्र में योग साधको को सुविधायें प्रदान करने के संदर्भ में।**

यह कि नानाराव पार्क कानपुर नगर का एतिहासिक स्थल है। जहॉ स्वतंत्रवा संग्राम में तमाम लोग शहीद हुये थे और उन्हीं के स्मारक के रूप में इस पार्क का निर्माण हुआ था। इसी कड़ी में अनुरोध है कि नानाराव पार्क के तरणताल प्रांगण में स्थित योग कुंज का नामकरण नगर के स्वतंत्रता सेनानी व प्रमुख समाज सेवी स्व0 राम चरन भरतिया के नाम पर **स्व0 राम चरन भरतिया योग कुंज** रखने की कृपा करें। जहॉ उन्ही की प्रेरणा से विगत 14 वर्षो से राम चरन भरतिया योग साधना केन्द्र कार्यरत है।

आपसे सविनय निवेदन करना चाहते हैं कि –

(1) यह कि आपको विदित है कि रामचरण भरतिया योग साधना केन्द्र, नानाराव पार्क में विगत 14 वर्षो से निःशुल्क योग प्राणायम प्रशिक्षण द्वारा समाज के लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे रहा है। यह सब नगर निगम के सहयोग से ही संभव हो रहा है।

(2) यह कि योग प्राणायाम क समय वातावरण साफ सुथरा होना चाहिए लेकिन हमारे स्थल पर सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है और धीरे–धीरे यह स्थल कूड़ा स्थान बनता जा रहा है। कृपया इस स्थान पर ध्यान देने की कृपा करें।

(3) यह कि योग स्थल के बगल में तरणताल बना हुआ है जिसके कारण पानी की समस्या हो जाती है कभी पानी मिलता है कभी नहीं मिलता है। हमने योग कुंज में पीपल,बरगद,अशोक व फूलों के अनेक पेड़ लगवाये है जो पानी के अभाव मे सूख रहे है, अतः प्रार्थना है कि योग स्थल पर अलग बोरिंग करवाने की व्यवस्था कराने की कृपा करे।

(4) यह कि हमारे केन्द्र में योग करने काफी वृद्ध लोग भी आते हैं जिन्हें जमीन पर बैठने में तकलीफ होती है। वर्तमान समय में जितनी बैंच है वह कम पड़ती है अतः लगभग 10 बैंच और बनवाने की कृपा करें। पूर्व में इस असुविधा की ओर पूर्व नगर प्रमुख श्री द्रोण जी से अनुरोध किया था उन्होंने वर्तमान में बनी हुई बैंचों का निर्माण करवाकर हमारे साधकों के लिए सुविधा प्रदान की थी।

ह0..............महापौर

(5) यह कि बरसात के मौसम में एवं अधिक सर्दी के मौसम में ऊपर से खुला आसमान होने कारण योग करने में बहुत असुविधा होती है। अतः आपसे निवेदन है कि नगर निगम द्वारा जैसा संजय वन,किदवई नगर में योग साधकों की सुविधा के लिये एक शेड का निर्माण किया गया था वैसी ही सुविधा हमारे योग साधकों को मिल जाएगी तो आपकी महान कृपा होगी। अतः एक 40X40 का एक शेड बनवाने की कृपा करें।

अन्त में दीदी आपसे यह अनुरोध है कि आप उपरोक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुये हमारे योग साधकों को सुविधायें प्रदान करने में हमारी मदद् करें। जैसा कि आप जानती हैं कि विगत् 14 वर्षो में हमारे योग केन्द्र से अपने नगर के हजारों लोग स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं और आज भी ले रहे है।

धन्यवाद।

.... **स्व0 रामचरण भरतिया योगकुंज नामकरण करने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव **संख्या–61**

श्री बी0एस0मोदी,राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अन्य संस्था–आप और हम राष्ट्रीय भ्रष्टाचार अपराध मुक्ति संगठन (रजि0) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

विषय :– परेड चौराहा का नाम शहीद भगत सिंह चौक व राजगुरू सुखदेव भगत सिंह की प्रतिमा लगाने की मांग।

आजादी के महान नयाक शहीद–ए–आजम भगत सिंह ने देश की फांसी के फंदे मे झूल गये जिसके लिये यह देश सदैव उनका ऋणी रहेगा तथा ऐसे शहीदों के बलिदान को भुलाया नही जा सकता बिट्रिश सरकार का दिया नाम परेड को बदलकर शहीद भगत सिंह चौक तथा प्रतिमा लगाई जाये।

इस संबंध में 14 मार्च 2016 को कानपुर के महापौर व नगर आयुक्त उमेश प्रताप सिंह को एक मांग पत्र देकर शहीद भगत सिंह चौक रखने की मांग की थी। तत्कालीन नगर आयुक्त उमेश प्रताप सिंह ने मुख्य अभि0 अभियंत्रण को स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट देने की निर्देश दिये। लेकिन आज तक मुख्य अभि0 अभियन्त्रण ने आज तक रिपोर्ट नही दी।

आपसे आग्रह अनुरोध है नगर निगम सत्र में प्रस्ताव पास कराकर उक्त परेड चौराहा का नाम शहीद भगत सिंह चौक को रखने की कृपा करें।

.... **परीक्षणोपरान्त अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।**

प्रस्ताव संख्या–62

श्री मदन बाबू (एडवोकेट) ,पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

विषय :–ब्लाक नं0 69 के सामने पीपल के पेड़ के पास एक कियाघर बनाये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव

निवेदन है कि वार्ड नं0–13 पुराना कानपुर जोन–4 के अर्न्तगत ब्लाक नं0 69 के सामने पीपल के पेड़ के पास एक कियाघर का होना अति आवश्यक है। कियाघर न होने के कारण कार्यक्रम में बड़ी दिक्कत हो रही है। बड़ी दूर जाना पड़ता है।
उक्त स्थल सर्वजनिक स्थल है उक्त स्थल पर एक किया घर वनाने की अनुमति मा0 कार्यकारिणी से स्वीकृत प्रदान करने की कृपा करें।

अतः आप से निवेदन है कि उक्त कार्य जनहित में अति आवश्यक है।

.... **परीक्षणोपरान्त अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।**

प्रस्ताव संख्या–63

श्री अभिषेक गुप्ता (मोनू) ,पार्षद एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

प्रस्ताव

अवगत कराना चाहते है कि नगर निगम अधिनियम की धारा 117/6 (B) के अन्तरगत आवश्यक कार्य करने हेतु अधिकार माननीय महापौर जी को दिये जाने हेतु प्रस्ताव कार्यकारणी के समक्ष प्रेषित है।

श्री अभिषेक गुप्ता ने कहा कि वार्ड के छोटे–छोटे आकस्मिक/तात्कालिक कार्य न रूके इसलिये कार्यहित में स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिये।

नगर आयुक्त ने कहा कि इस सम्बन्ध में पहले नगर निगम अधिनियम पढ़ लिया जाये तद्नुसार निर्णय दिया जाये।

ह0..............महापौर

.... विधिक राय प्राप्त की जाये।

प्रस्ताव संख्या–64

श्री राघवेन्द्र मिश्रा ,पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

विषय :–पार्क के नामकरण हेतु कार्यकारिणी प्रस्ताव।

प्रस्ताव

अवगत हो वार्ड–91 शास्त्री नगर स्थित छोटा सेन्टर पार्क का नाम स्मृति शेष पं0 राममूर्ति मिश्र पूर्व सभासद के नाम करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तावित करने हेतु।

पं0 राममूर्ति मिश्र बाल्यकाल से संघ के स्वंयसेवक रहते हुये मजदूरों के क्षेत्र में बड़ा कार्य किया एवं जनसंघ से जुड़कर पार्टी का काम खड़ा किया अनेकों जन आन्दोलनों में सक्रिय भूमिका निर्वाह्न किया एवं 1989 में भा.ज.पा. से सभासद चुने गये एवं ईमानदार नेता की ख्याति प्राप्त की ।

अस्तु कार्यकारिणी में प्रस्ताव प्रस्तुत कर उपरोक्त पार्क का नाम उनके नाम पर हो का अनुमोदन करता हूँ।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–65

श्री अंजू मिश्रा ,पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

विषय :– जोन में नये कर निर्धारण के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव

ह0..............महापौर

सादर अवगत कराना है कि जोन में हुई बैठक में यह वार्ता हुई थी कि जो भी नया कर निर्धारण किया जायेगा वह पार्षद के संज्ञान में लाया जायेगा जो अद्यावधि तक विचाराधीन है। अतः माननीय कार्यकारिणी से निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव जनहित में कार्यकारिणी में पारित करवाने की कृपा करें।

श्री अभिषेक गुप्ता ने कहा कि इस प्रस्ताव से हम भी सहमत है, हम लोग कई मामले टी0एस0 व जोनल अधिकारी के देते है, परन्तु सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नही की जाती है, अतः प्रकरण संज्ञान में लाना चाहिये।

नगर आयुक्त ने सभी कर निर्धारण अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रतिदिन कर निर्धारण के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयों को नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाये।

श्री जय प्रकाश पाल ने कहा कि पार्षद को जोन में सूचना उपलब्ध नही कराई जाती है, जिसके कारण पार्षद को आर0टी0आई0 के माध्यम से सूचना माँगनी पड़ती है।

सभापति ने कहा कि किसी पार्षद को यदि अपने ही विभाग की सूचना आर0टी0आई0 के माध्यम से माँगनी पड़े तो यह स्थिति अत्यधिक आपत्तिजनक है।

नगर आयुक्त ने सभी जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया कि पार्षदों द्वारा माँगी गई सूचना को प्राथमिकता पर उन्हें उपलब्ध कराया जाये।

श्री गुरू नारायण गुप्ता ने कहा कि यह अवगत कराया जाये कि नये व पुराने मकानों पर टैक्स किस मानक के आधार पर लगाया जाता है, अवगत कराया जाये क्योंकि कर निर्धारण में अनेक वित्तीय अनियमिततायें की जा रही है।

श्री महेन्द्र पाण्डेय ने कहा कि शहर के भवनों का यदि सही ढंग से कर निर्धारण कर दिया जाये, तो नगर निगम में धनाभाव नही रहेगा।

.... **प्रतिदिन कर निर्धारण के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयों को नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाये।**

<u>प्रस्ताव संख्या–66</u>

श्री अंजू मिश्रा ,पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

<u>प्रस्ताव</u>

ह0..............महापौर

सादर अवगत कराना है कि कंपनीबाग चौराहे स्थिति भारत रत्न डा0 भीमराव रामजी अम्बेडकर की प्रतिमा जिस पर आज तक किसी भी प्रकार की छाया की व्यवस्था नही की जा सकी है । इस सम्मानित प्रतिमा पर छाया के लिये छतरी का होना अति आवश्यक है।

अतः माननीय कार्यकारिणी से निवेदन है कि त्वरित योजना में रखते हुये प्रतिमा पर स्थायी रूप छाया की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें।

.... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–67

श्री राघवेन्द्र मिश्रा ,पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

विषय :– पी0रोड़ स्थित लेनिन पार्क का नाम स्व0 जमुना प्रसाद शुक्ल एडवोकेट के नाम से रखे जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव

कृपया उपर्युक्त विषयक पर माननीय कार्यकारिणी समिति के संज्ञान में लाना है कि स्व0 जमुना प्रसाद शुक्ल "एडवोकेट" 106/74, गाँधी नगर कानपुर के निवासी थे। स्व0 शुक्ल जी डी0ए0वी0 महाविद्यालय में छात्र संघ के महामंत्री, प्रसिद्ध समाज सेवी एवं शासकीय अधिवक्ता भी रहे। इसके अतिरिक्त आपातकाल (इमर्जेसी) में जेल भी जा चुके लोकतंत्र सैनानी रहे। विश्व हिन्दू परिषद, हिन्दू जागरण मंच तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में सक्रिय रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में पदाधिकारी भी रहे।

तदानुक्रम में लेनिक पार्क का नामकरण स्व0 जमुना प्रसाद शुक्ल के नाम से किये जाने हेतु प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी के समक्ष स्वीकृत्यर्थ प्रस्तुत है।

.... **चूँकि पूर्व से प्रश्नगत पार्क का नाम विश्वकर्मा वाटिका है, अतः प्रस्ताव निरस्त किया जाता है।**

प्रस्ताव संख्या–68

श्री सुमित कुमार पाल ,पार्षद एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

ह0..............महापौ

विषय :– पनकी भाटिया चौराहे का नाम पनकी घाम किये जाने के सम्बन्ध में।

आपको अवगत कराना है कि पनकी भाटियॉ चौराहे को भाटियॉ चौराहा कहा जाता है लेकिन लिखा पढ़ी में पनकी चौराहा ही है अतः निवेदन है कि अभी रेलवे बोर्ड ने पनकी धाम स्टेशन का नाम किया है और यह रास्ता पनकी स्टेशन के निकट और पनकी हनुमान को भी जाता है।

अतः आपसे निवेदन है कि पनकी भाटियॉ चौराहा का नाम पनकी धाम कर दिया जाए। मैं आपका और कार्यकारिणी का हृदय से आभारी रहूँगा।

.... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

<u>प्रस्ताव संख्या–69</u>

कु0 लक्ष्मी कोरी एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

विषय :– पुरानी ध्वस्त पड़ी पुस्तकालय को सामुहिक केन्द्र बनाने हेतु प्रस्ताव कार्यकारिणी में।

आपको अवगत कराना है कि 12/480 में पुरानी ध्वस्त पड़ी पुस्तकालय जिस पर अवैध कब्जा होने की आशंका है उस जगह पर सामुहिक केन्द्र बनाने का कष्ट करें जिससे क्षेत्रिय जनता व आंगन वाड़ी वाले कार्यकर्ता को कार्य करने हेतु एक सामूहिक केन्द्र प्राप्त हो सके जो अवैध कब्जा हो रहा है उस पर रोक लग सके।

माननीय महापौर जी आप से निवेदन है कि सामूहिक केन्द्र बनवाने का कष्ट करें।

.... **धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जाना सम्भव होगा।**

सभापति ने नगर आयुक्त से कहा कि जल निगम अभियन्ता से पूँछा जाये कि कानपुर नगर में पानी के कितने ओवर हेड टैंक है ? उनमें से कितनी टंकियाँ ठीक है ? कितनी टंकियों से क्षेत्र में जलापूर्ति कराई जा रही है ? क्योंकि शहर में चारो तरफ पानी का संकट है परन्तु जल निगम के कानो में जू नही रेंग रही है, नागरिकों के प्रति इनकी कोई संवेदना नही है।

नगर आयुक्त के निर्देशानुसार जल निगम के अभियन्ता ने बताया कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 परियोजनान्तर्गत कानपुर नगर में 23 टंकियाँ स्थापित है परन्तु धनाभाव के कारण क्षतिग्रस्त टंकियों एवं कराई जा रही लाइन टेस्टिंग के कारण जलापूर्ति सुनिश्चित नही हो जा रही है।

श्री मो0 अमीम ने कहा कि वार्ड–110, 97, 103, 109 स्थित टंकियाँ लगभग 50 वर्ष से भी अधिक पुरानी है तथा जलापूर्ति हेतु डाली गई पाइप लाईनें भी जर्जर है, जो ब्रिटिश गवर्नमेन्ट के समय की है। यह पाइप लाईनें डॉट नालों से होकर गुजर रही है, जब जलापूर्ति बन्द होती है, तो पानी की लाईनों में गंदा पानी भर जाता है और आपूर्ति के समय पहले बदबूदार पानी नागरिकों को मिलता है, इसी से जल निगम व जलकल की संवेदना समझी जा सकती है।

सभापति ने तत्काल टूटी टंकियों को ठीक कराने के निर्देश दिये। जिस पर नगर आयुक्त ने महाप्रबन्धक जलकल एवं जल निगम को संयुक्त निरीक्षण कर टूटी टंकियों को ठीक कराने के निर्देश दिये साथ ही फौरी तौर पर प्लास्टिक शीट्स इत्यादि रखवाकर उनके संरक्षण की बात भी कही।

समिति के सदस्यों ने सभापति के समक्ष कुछ प्रस्तावों को टेबुल करने का अनुरोध किया।

टेबुल प्रस्ताव संख्या–70 **श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला (दद्दा) द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर विचार करना :–**

प्रस्ताव

विषय :– नगर निगम के विद्यालयों में नियत वेतन पर कार्यरत अंशकालिक शिक्षिकाओं के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में माननीय कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को अवगत कराना है कि कानपुर नगर निगम द्वारा संचालित विद्यालयों में रू0 10–11 हजार के नियत वेतनमान में शिक्षिकाएं अध्यापन कार्य कर रही है, जबकि लखनऊ नगर निगम द्वारा संचालित विद्यालयों की शिक्षक/शिक्षिकाओं का नियत वेतन (संविदा) का निर्धारण कार्यकारिणी समिति के संकल्प संख्या– 137–138 दिनांक–12.06.2014 से रू0 बीस हजार प्रतिमाह दिया जा चुका है और तद्नुसार वेतन भी आहरित किया जा रहा है।

अतः वर्तमान की मंहगाई के दृष्टिगत हाई स्कूल के साथ इण्टरमीडिएट के छात्र/छात्राओं को पढ़ाने वाली शिक्षिकाओं को समान कार्य समान वेतन के आधार पर वेतन दिलाये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय कार्यकारिणी के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

.... **स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।**

टेबुल प्रस्ताव संख्या–71 श्री जितेन्द्र गाँधी कुशवाहा द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर विचार करना :–

प्रस्ताव

दिनांक–30.03.2017 की कार्यकारिणी में एन.जी.ओ. टीचर्स द्वारा अंशकालिक टीचर्स के बराबर वेतन दिये जाने की प्रार्थना की गई थी, प्रस्ताव संख्या–1903 कार्यकारिणी ने परीक्षण के उपरान्त आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, परन्तु आख्या आज तक नही प्रस्तुत की गई है।

कृपया एन.जी.ओ. टीचर्स को अंशकालिक टीचर्स के बराबर वेतन देने की कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृति प्रदान करें।

.... एन.जी.ओ. टीचर्स को अंशकालिक टीचर्स के बराबर वेतन दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

टेबुल प्रस्ताव संख्या–72 डॉ0 ए0के0सिंह द्वारा प्रस्तुत एवं अपर नगर आयुक्त व नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :–

प्रस्ताव

नगर निगम सीमान्तर्गत भवन स्वामी के द्वारा अपने शौक एवं सुरक्षा के तहत श्वानों को पालने हेतु नगर निगम अधिनियम 1959 में लाइसेंस लिये जाने का प्राविधान है। नगर निगम द्वारा लाइसेन्स निर्गत किये जाने के शुल्क के रूप में रू0 06.00 जमा कराया जाता है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर निगम लखनऊ द्वारा सदन की सामान्य बैठक दिनांक 20.10.2012 में श्वानों के लाइसेन्स शुल्क में वृद्धि की गयी है। लखनऊ नगर निगम की भाँति ही नगर निगम, कानपुर में भी श्वान लाइसेन्स दरों में वृद्धि किये जाने हेतु संशोधित प्रस्ताव निम्नवत् प्रस्तुत है :–

विवरण	वर्तमान प्राविधान	संशोधन प्राविधान
बड़े श्वान विदेशी नस्ल/क्रास ब्रीड बड़ा विदेशी	06.00	500.00
छोटे श्वान विदेशी नस्ल/क्रास ब्रीड छोटा विदेशी	06.00	300.00
भारतीय नस्ल के (देशी)/क्रास ब्रीड देशी	06.00	200.00

.... स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

टेबुल प्रस्ताव संख्या–73 अधिशाषी अभियन्ता (प्रोजेक्ट) द्वारा प्रस्तुत व नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :–

प्रस्ताव

विषय :– जाजमऊ कानपुर नगर में टेनरी इकाईयों द्वारा जनित औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण के सम्बन्ध में उ0प्र0 जल निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव रू0 1788.94 लाख का वित्त पोषण पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना (रिवाल्विंग फण्ड) से कराये जाने हेतु संस्तुति उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों के क्रम में मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 16.05.2018 को सम्पन्न हुई बैठक में जाजमऊ कानपुर स्थित सी0ई0टी0पी0 एवं उसके कन्वेंस चैनल, राइजिंग मेन तथा पम्पिंग स्टेशनों आदि की मरम्मत हेतु गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम कानपुर को उक्त धनराशि रू0 1788.94 लाख के भुगतान किये जाने हेतु नगर विकास विभाग को निर्देशित किया गया।

उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा पत्र संख्या–2023/नौ–5–2018–202सा/2018 दिनांक–21.06.2018 के माध्यम से नागर निकायों के अधीन सृजित परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण एवं संचालन और जीर्णोद्धार हेतु उक्त प्रस्तावित धनराशि को पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना (रिवाल्विंग फण्ड) से ब्याज रहित ऋण लिये जाने के सम्बन्ध में माननीय सदन द्वारा पारित प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु अपेक्षा की गयी है।

उक्त कार्य हेतु रू0 1788.94 लाख के भुगतान नगर निगम के वित्तीय संसाधनों को देखते हुये नगर निगम द्वारा वहन किया जाना सम्भव नही है। अतः शासन द्वारा प्रस्तावित उक्त प्रस्ताव को दृष्टिगत करते हुये जनहित एवं कार्यहित में जाजमऊ, कानपुर स्थित सी0ई0टी0पी0 एवं उसके कन्वेंस चैनल, राइजिंग मेन तथा पम्पिंग स्टेशनों आदि की मरम्मत हेतु रू0 1788.94 लाख की धनराशि को पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना (रिवाल्विंग फण्ड) से ब्याज रहित ऋण लिये जाने की स्वीकृति हेतु माननीय कार्यकारिणी /सदन के समक्ष प्रस्ताव स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

.... **स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।**

टेबुल प्रस्ताव संख्या–74 प्रभारी अधिकारी (शिक्षा) द्वारा प्रस्तुत एवं अपर नगर आयुक्त व नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :–

प्रस्ताव

कानपुर नगर निगम द्वारा संचालित निम्नलिखित 05 विद्यालय जिन पर होने वाला समस्त व्यय नगर निगम द्वारा अपने क्षेत्रों से वहन किया जाता है। शासन से कोई अनुदान प्राप्त नही होता है।

1. नगर निगम बालिका विद्यालय काकादेव – (नर्सरी से कक्षा–12 तक)
2. नगर निगम बालिका विद्यालय चुन्नीगंज – (नर्सरी से कक्षा–12 तक)

ह0............महापौर

3. नगर निगम बालिका विद्यालय, किदवई नगर – (कक्षा–6 से कक्षा–12 तक)
4. नगर निगम बालिका विद्यालय जूही (बसन्ती नगर) – (कक्षा–6 से कक्षा–12 तक)
5. नगर निगम गाँधी संगीत महाविद्यालय सिविल लाइन्स – प्रारम्भिक से अलंकार तक

अतः उपरोक्त विद्यालयों में पी0पी0पी0 मॉडल से संचालन कराने हेतु प्रस्ताव मा0 महापौर जी की अनुमति से मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

.... **स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।**

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या–75</u> अधिशाषी अभियन्ता (प्रो0) द्वारा प्रस्तुत एवं मुख्य अभियन्ता, अपर नगर आयुक्त व नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :–

अमृत योजनान्तर्गत कानपुर नगर की विभिन्न योजनाओं हेतु निकायांश के रूप में पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण प्राप्त किये जाने हेतु स्वीकृत प्रदान करने के सम्बन्ध में।

<u>प्रस्ताव</u>

अमृत योजना के अन्तर्गत कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

S.No.	SAAP	Project	GO	Sanctioned Amount (5+6+7) in lakhs	Central (33.33%) Share in lakhs	State (36.67%) Share in lakhs	ULB (30%) Share in lakhs	Installments (in lakhs)		
								1st 20%	2nd 40%	3rd 40%
								ULB (30%)	ULB (30%)	ULB (30%)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SEWERAGE										
1	2015-16	सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबन्धन–कानपुर सीवरेज डिस्ट्रक्ट–4 हाउस होल्ड कनेक्शन के सम्बन्ध में।	251 / 2016 / 2778 / नौ–5–2016 –62 / 2016 दिनांक–05.09.2016	2959.37	986.358	1085.201	**887.811**	177.5622	355.1244	355.1244
2	2015-16	एक्सपेंशन ऑफ सीवर नेटवर्क इन सीवरेज डिस्ट्रिक्ट–4 कानपुर	137 / 2017 / 4057 / नौ–5–2017 –218बजट / 2016 दिनांक–04.12.2017	6235.71	2078.362	2286.635	**1870.713**	374.1426	748.2852	748.2852

ह0..............महापौर

3	2016-17	सीवर नेटवर्क हाउस होल्ड कनेक्शन इन सीवरेज डिस्ट्रिक्ट–3 कानपुर	143 / 2017 / 3913 / नौ–5–2017 –196बजट / 2017 दिनांक 13.12. 2017	11225.18	3741.52	4116.274	**3367.554**	673.5108	1347.022	1347.022
4	2016-17	210 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 बिनगवां कानपुर में आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य।	3136 / (1) नौ–5–2017–311सा / 14ए दिनांक 02.08.2017	440.14	146.6987	161.3993	**132.042**	26.4084	52.8168	52.8168
			WATER SUPPLY							
1	2015-16	कानपुर पेयजल पुर्नगठन योजना फॉर ईस्ट सर्विस डिस्ट्रिक्ट	346 / 2016 / 2833 / नौ–5–2016 –173बजट / 2016 दिनांक 08.12. 2016	5007.24	1668.913	1836.155	**1502.172**	300.4344	600.8688	600.8688
2	2015-16	कानपुर पेयजल पुर्नगठन योजना फॉर साउथ सर्विस डिस्ट्रिक्ट	सं0–348 / 2016 / 3011 / नौ–5–2016–190बजट / 2016 दिनांक 08.12.2016	5223.93	1741.136	1915.615	**1567.179**	313.4358	626.8716	626.8716
3	2016-17	गंगा बैराज से भैरवघाट तक कन्वेन्स में बिछायी जाने का कार्य	3136 / (1)नौ–5–2017–311सा / 14ए दिनांक 02.08.2017	902.02	300.6433	330.7707	**270.606**	54.1212	108.2424	108.2424
		Total		**31993.59**	**10663.46**	**11732.05**	**9598.077**	**1919.615**	**3839.231**	**3839.231**

उपरोक्त विवरण के अनुसार सीवरेज व पेयजल योजना हेतु स्वीकृत परियोजना की धनराशि का 30 प्रतिशत निकायांश व 33.33 प्रतिशत, क्रेन्द्रांश, 36.67 प्रतिशत राज्यांश है। नगर निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण निकायांश की धनराशि को पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में प्राप्त किया जाना है, जिसकी स्वीकृति माननीय कार्यकारिणी / सदन से वाँछित है।

अतः कार्यहित में निकायांश के रूप में पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण प्राप्त किये जाने हेतु अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

.... स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या–76</u> अपर नगर आयुक्त व नगर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :–

<u>प्रस्ताव</u>

शासन द्वारा समय–समय पर विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से एवं शासन स्तर पर आहूत विभिन्न समीक्षा बैठकों में नगर निगम की आय के संसाधन बढ़ाये जाने के निरन्तर निर्देश किये जा रहे है, उक्त के क्रम में न्यूनतम मासिक किराया दरों के परीक्षण व करों के पुर्ननिर्धारण की कार्यवाही तो अपेक्षित है ही, इसके साथ करेत्तर मदों में भी पुनरीक्षण व नये संसाधन सृजित किया जाना अपेक्षित है। इसी क्रम में कानपुर नगर निगम सम्पत्ति कर नियमावली के

ह0..............महापौर

सम्पत्तियों के सामान्य कर के पुर्ननिर्धारण व पुनरीक्षण की कार्यवाही युद्ध स्तर पर प्रगति पर है, जिसके अन्तर्गत समस्त जोनो द्वारा सम्पत्तियों के सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण करके इसकी डाटा इन्ट्री हितबद्ध पक्ष को नोटिस तामील कराने का कार्य प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण एवं तदोपरान्त प्रत्येक आच्छादित सम्पत्ति के सामान्य कर को अन्तिम रूप से निर्धारित करने का कार्य प्रगति पर है। शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों में यह आदेशित किया गया है कि नगर निगमों द्वारा आय सम्बन्धी आँकड़े प्रेषित करते समय स्टाम्प ड्यूटी की धनराशि को उसमें सम्मिलित न किया जाये। ऐसी स्थिति में नगर निगम आय के मुख्य स्त्रोत सामान्य कर ही होगा, और तद्क्रम में शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु अन्य मदों पर भी विचार करना अनिवार्य रूप से अपेक्षित है। यह भी उल्लेखनीय है कि कानपुर नगर के स्मार्ट सिटी में चयनित हो जाने के पश्चात् नगर निगम के दायित्वों में वृद्धि हुई है, जिसके लिये आय के अतिरिक्त संसाधन का सृजन अत्यन्त आवश्यक है।

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि कतिपय नगर निगमों में कर निर्धारण सूची में नाम परिवर्तन के लिये संग्रहित किया जाने वाला नामान्तरण शुल्क एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में विकसित हुआ है, जबकि कानपुर नगर निगम में संग्रहित किये जाने वाला नामान्तरण शुल्क नाममात्र का है व ऐसी स्थिति में इसका पुनरीक्षण आवश्यक है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी प्रस्ताव प्रेषित किया गया था।

अतः नगर निगम आर्थिक हित में वर्तमान में प्रभावी नामान्तरण शुल्क के पुनरीक्षण व एकरूपता के दृष्टिकोण से नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र के प्रारूप व उसके शुल्क के सम्बन्ध में निम्नवत् यथा संशोधित प्रस्ताव विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

क्र. सं.	वर्तमान में प्रभावी नामान्तरण शुल्क		मा0 कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तावित नामान्तरण शुल्क		
	वार्षिक मूल्यांकन	नामान्तरण शुल्क	क्र.सं.	विवरण	
1	रू0 01 से रू0 2000 तक	रू0 200/–	1	विरासतन/उत्तराधिकार विधि समस्त तरीके से किये गये तथा पंजीकृत वसीयत आदि के आधार पर किये जा रहे नामान्तरण का शुल्क	रू0 5000/– (रू0 पॉच हजार)
2	रू0 2001 से रू0 5000 तक	रू0 600/–	2	भवनों के पंजीकृत विलेख/बैनामे, पंजीकृत दान–पत्र के आधार पर नामान्तरण के सम्बन्ध में	जिलाधिकारी सर्किल दरों के आधार पर विक्रय मूल्य व वास्तविक विक्रय मूल्य में जो अधिक हो, का 01 (एक) प्रतिशत
3	रू0 5001 से रू0 10000 तक	रू0 1200/–			
4	रू0 10000 से अधिक	रू0 2000/–			

ह0..............महापौर

नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप –
नगर निगम कर निर्धारण सूची में नामान्तरण हेतु आवेदन के लिये संलग्न प्रारूप जो निम्नानुसार है, को अनुमोदित करने व इसका प्रति आवेदन पत्र मूल्य रू0–20.00 मात्र निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

सेवा में,

जोनल अधिकारी जोन–

नगर निगम, कानपुर।

विषय :– भवन के नामान्तरण (दाखिल–खारिज) के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रार्थी / प्रार्थिनी भवन संख्या.........................वार्ड...................... के सम्पूर्ण / जुज भाग पर निम्नलिखित कारण से अपना नाम नगर निगम अभिलेखों में दर्ज कराना चाहता / चाहती है। उक्त भवन का अब तक का गृह कर पूरा जमा है (स्व प्रमाणित रसीद की प्रति संलग्न है)। प्रार्थी / प्रार्थिनी उक्त भवन का निर्धारित नामान्तरण शुल्क व विज्ञापन शुल्क, शमन शुल्क (निर्धारित तिथि के उपरान्त) नगर निगम कोष में तत्काल जमा करने का तैयार है।

नामान्तरण का आधार	साक्ष्य
1. दर्ज स्वामी की मृत्यु हो जाने के आधार पर	1. उत्तराधिकारी होने के नामे खानदानी सजरा, शपथ–पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न
2. पंजीकृत विक्रयनामे के आधार पर है	2. रजिस्टर्ड डीड की प्रमाणित प्रति तथा शपथ पत्र संलग्न
3. वसीयत है	3. वसीयत की प्रमाणित प्रति तथा शपथ पत्र संलग्न हो।

ह0..............महापौर

4. पारिवारिक समझौते के आधार पर	4. गिफ्ट डीड की प्रमाणित प्रति तथा शपथ पत्र संलग्न हो।
5. न्यायालय के आदेशानुसार के	5. खानदानी सजरे एवं पारिवारिक समझौते की प्रमाणित प्रति।
6. हिब्बानामा के आधार पर	6. न्यायालय के आदेश की प्रमाणित तथा शपथ–पत्र संलग्न हो।

अतः भवन संख्या..............................स्थित मोहल्ला......................... वार्ड संख्या.................. पर उपरोक्त में से किये गये कारण के आधार पर दर्ज नाम .... को खारिज करके संलग्न अभिलेखों के अनुसार प्रार्थी/प्रार्थिनी .... का नाम दर्ज किया जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्य प्रार्थी/प्रार्थिनी की जानकारी में बिल्कुल सत्य है इनमें कोई भी तथ्य असत्य नही है और न ही कुछ छिपाया गया है। इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों की सत्यता एवं प्रमाणिकता का उत्तरदायित्व प्रार्थी/प्रार्थिनी का होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार नामान्तरण (दाखिल–खारिज) की कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे प्रार्थी/प्रार्थिनी अपने भवन का गृह कर आदि अपने नाम से जमा कर सके।

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित नामान्तरण शुल्क को निर्धारित करने व शमन शुल्क, प्रकाशन शुल्क वर्तमान में प्रभावी व्यवस्था के अनुसार ही संगहित करने और उनमें कोई परिवर्तन नही करने व आवेदन पत्र के प्रारूप एवं इसके शुल्क के सम्बन्ध में माननीय कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

.... **स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।**

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या–77</u> प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति द्वारा प्रस्तुत व नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :–

<u>प्रस्ताव</u>

विषय :– <u>बृजेन्द्र स्वरूप लॉन में स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत इन्डोर स्पोर्ट्स कॉमप्लेक्स एवं अन्य नागरिक सुविधाओं के निर्माण के सम्बन्ध में।</u>

भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा संचालित नगर निगम, कानपुर स्मार्ट सिटी योजना के क्रियान्वन के सम्बन्ध में दिनांक 06.07.2018 को मण्डलायुक्त/अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी योजना की बैठक के अन्तर्गत बृजेन्द्र स्वरूप लॉन में इन्डोर स्पोर्ट्स कॉमप्लेक्स एवं अन्य नागरिक सुविधाओं के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है। उक्त के सम्बन्ध में मा0 कार्यकारिणी समिति को अवगत कराना है कि

नगर निगम जोन–4 के अन्तर्गत वार्ड–6 में स्थित बृजेन्द्र स्वरूप लॉन की भूमि का क्षेत्रफल 39578.29 वर्ग मीटर पर निर्माण कराये जाने हेतु प्रस्ताव स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है ।

.... **स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।**

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या–78</u> **मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत व नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :–**

<u>टेबुल प्रस्ताव</u>

बड़े हर्ष का विषय है कि इण्ट्रीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम (आई0टी0एम0एस0) को कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा धनांक रू0 31.50 करोड़ की लागत से मेसर्स ओनेक्स इलेक्ट्रानिक्स द्वारा स्थापित कराया गया है। ओनेक्स कम्पनी द्वारा इण्ट्रग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम (आई0टी0एम0एस0) का 04 वर्ष का अनुबन्ध भी किया जायेगा, जिसका व्यय उक्त धनराशि में सम्मिलित है। इण्ट्रग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम (आई0टी0एम0एस0) को कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 01.06.2018 को कानुपर नगर निगम को हस्तगत कर दिया गया है जिसका रख रखाव वर्तमान समय में नगर निगम, कानपुर द्वारा तथा उक्त सिस्टम का संचालन यातायात पुलिस, कानपुर द्वारा किया जा रहा है।

मा0 मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर की अध्यक्षता में दिनांक 05.05.2018 को इण्ट्रग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में निर्देशित किया है कि व्यवस्था के रख–रखाव, संचालन, चालान छापने एवं चालान को पोस्ट करने आदि में दीर्घकालीन पोस्टल चार्ज आदि ऑपरेशनल व्यय भार की व्यवस्था के दृष्टिगत एक औचित्यपूर्ण धनराशि नगर निगम द्वारा मा0 कार्यकारिणी/बोर्ड से स्वीकृत करा ली जाये।

तदानुक्रम में प्रत्येक चालान के साथ धनांक 100.00 का उपकर सम्मिलित करते हुये चालान के साथ वसूल की गयी धनराशि के साथ ही नगर निगम के उपकर की धनराशि को नगर आयुक्त एवं पुलिस अधीक्षक 'यातायात' के संयुक्त हस्ताक्षर से खोले गये बैंक खाते में संरक्षित किये जाने हेतु प्रस्तावना तैयार की गयी है, यह धनराशि आई0टी0एम0एस0 की व्यवस्था के ऊपर ही खर्च की जायेगी।

तदानुसार उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु मा0 कार्यकारिणी के समक्ष टेबिल प्रस्ताव स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि नगर निगम के0डी0ए0 व उत्तर प्रदेश शासन की क्या हिस्सेदारी होगी इसे भी स्पष्ट किया जाये।

नगर आयुक्त ने कहा कि निर्धारित व्यवस्था का अनुपालन कराया जायेगा।

ह0..............महापौर

.... स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या–79</u> अपर नगर आयुक्त द्वारा प्रस्तावित व नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :–

टेबुल प्रस्ताव

नगर निगम, कानपुर उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 451, 452(41) व (49) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके नगर निगम सीमान्तर्गत चलित ई–रिक्शा के विनियमन की उपविधि

1. यह उपविधि नगर निगम सीमान्तर्गत ई–रिक्शा/ई–कार्टस/ई–भार वाहन विनियमितिकरण एवं नियंत्रित करने की उपविधि नगर निगम, कानपुर, 2018 कहलायेगी।

2. यह उपविधि सरकारी गजट, उ0प्र0 में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

3. परिभाषा– इन उपविधियों में अब तक विषय अथवा प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो।

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य नगर निगम अधिनियिम 1959 से है।
(ख) "नगर निगम" का तात्पर्य नगर निगम सदन से है।
(ग) "सीमान्तर्गत" से तात्पर्य नगर निगम कानपुर की सीमा से है तथा भविष्य में संशोधित सीमायें भी इसमें सम्मिलित मानी जायेगी।
(घ) "नगर आयुक्त" का तात्पर्य नगर निगम, कानपुर के नगर आयुक्त से है।
(ड़) "अनुज्ञप्ति अधिकारी" से तात्पर्य नगर आयुक्त जिस अधिकारी को अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु नामित करें, जो राजस्व से सम्बन्धित अधिकारी से है।
(च) "अनुज्ञप्ति ग्रहिता" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो निजी ई–रिक्शा/ई–कार्टस/ई–भार वाहन चलाने की अनुमति प्राप्त किया हो।
(छ) "अनुज्ञप्ति ग्रहिता" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो ई–रिक्शा किराये पर एक से अधिक ई–रिक्शा चलवाये जाने की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

लाईसेंस की शर्ते एवं नियम :–

कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत अनुज्ञप्ति अधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना कोई ई–रिक्शा सवारी/ई–कार्टस/ई–भार वाहन नही चलाया जा सकता है।

निम्नलिखित दशा में ई–रिक्शा/ई–कार्टस/ई–भार वाहन का अनुज्ञप्ति–पत्र दिया जा सकेगा अथवा नवीनीकरण हो सकेगाः–

1. ई–रिक्शा/ई–कार्टस/ई–भार वाहन सुदृढ़ तथा चालू अवस्था में हो।
2. ई–रिक्शा/ई–कार्टस/ई–भार वाहन चालक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष होगी तथा चालक स्वस्थ हो तथा किसी संक्रामक बीमारी से ग्रस्त न हो, रिक्शा पंजीकरण तथा नवीनीकरण कराते समय चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासन द्वारा स्वीकृत आकार व स्वरूप के अनुरूप हो।

ह0.............महापौर

दिये जाने के फलस्वरूप चिकित्सकों की नियुक्ति न हो पाने के कारण शनैः–शनैः चिकित्सकों की कमी होती गई। वर्तमान समय में नियमित चिकित्सकों की संख्या शून्य होने के कारण नगर निगम द्वारा संचालित शेष 29 चिकित्सा यूनिटों का सुचारू रूप से संचालन सम्भव नही हो पा रहा है।

मेरा प्रस्ताव है कि उपरोक्त वर्णित शासनादेश सं0 5282/नौ–4–94–21जनरल/91 दिनांक 17 जनवरी, 1995 प्रभावी होने के कारण नगर निगम की चिकित्सा यूनिटें संचालित किये जाने के लिये चिकित्सकों की नियुक्ति नगर निगम द्वारा किया जाना सम्भव नही प्रतीत होता है। अस्तु नगर निगम द्वारा संचालित शेष चिकित्सा यूनिटों को पूर्ण रूपेण पी0पी0पी0 मॉडल पर संचालित किया जाना उचित प्रतीत होता है, जिससे क्षेत्रीय एवं आस–पास की जनता को सस्ती एवं उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जा सके। इन समस्त चिकित्सा यूनिटों को सामाजिक संस्थाओं/एन0जी0ओ0 या इच्छुक व्यक्ति/व्यक्तियों को आमंत्रित कर नगर निगम की नियम/शर्तो को अवगत कराते हुये विधिक/समुचित अनुबन्ध कर संचालित कराया जा सकता है।

उपरोक्त टेबल प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

नगर आयुक्त ने कहा कि पी0पी0पी0 मॉडल के आधार पर रेवेन्यू मॉडल तैयार किया जायेगा।

सभापति ने सूरत नगर निगम का उदाहरण देते हुये कहा कि सूरत नगर निगम की भाँति कानपुर नगर निगम अपने सभी अस्पतालों में से किसी एक अस्पताल का स्वयं संचालन किया जाये, जिसमें रिजेन्सी की तरह चिकित्सकीय सुविधायें उपलब्ध कराई जाये साथ ही यह भी कहा कि नगर निगम को अपने स्वयं संसाधन बढ़ाने चाहिये, जिससे नगर निगम राजस्व में वृद्धि के साथ–साथ नगर निगम की छवि पर भी अनुकूल प्रभाव पड़े और भारत सरकार/राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप छोटे–छोटे रोजगारों का सृजन हो सके। नगर निगम को स्वयं की कैन्टीन खोलनी चाहिये, पॉलीथीन के प्रतिबन्ध पर कपड़ों के झोला/कैरी बैग्स बनाने की छोटी–छोटी इकाईयाँ विकसित की जाये। इसके अतिरिक्त समिति के सदस्यों को अवगत कराना चाहती हूँ कि गंगा बैराज स्थल में आये दिन गंगा में डूबकर मौते एवं दुर्घटनायें हो रही है। अतः सायं 06:00 बजे के पश्चात् रेहड़ी दुकानदार, ठेलिया–खोंचा वालों को दुकानें लगाना एवं युवाओं का प्रवेश प्रतिबन्धित किया जाये, क्योंकि गंगा बैराज स्थल को युवक पिकनिक स्पॉट मानकर वहाँ जाते है और सेल्फी लेने तथा स्टंट करने के प्रयास में गंगा में डूब जाते है। रेहड़ी दुकानदारों के कारण खाने–पीने की सामग्री देने में प्लास्टिक पॉलीथीन का प्रयोग किया जाता है, जिसे प्रयोग करने के बाद गंगा नदी में फेंकने से पानी में गंदगी व्याप्त होती है। चूँकि गंगा बैराज से ही शहर की पेयजलापूर्ति होती है। अतः इस पर प्रतिबन्ध लगाया जाये। महाप्रबन्धक जलकल से पूँछा कि जब नगर निगम से धन दिया जा चुका है तो अभी तक हैण्डपम्प क्यों नही लगे ? कब तक लगेंगे, इसकी अन्तिम समय सीमा बताई जाये ?

महाप्रबन्धक जलकल ने आश्वस्त करते हुये कहा कि एक माह के अन्दर शेष सभी वार्डो में हैण्डपम्प प्रत्येक दशा में लगा दिये जायेंगे।

श्री मो0 अमीम ने कहा कि सीवर चैम्बर ठीक कराये जाये तथा चोंक सीवर की सफाई कराई जाये।

श्री विजय यादव ने कहा कि वार्ड–54 में नगर निगम व आवास–विकास विभाग अपनी सीमायें नही तय कर सका है, इस बात का शिकार मैं स्वयं हो रहा हूँ। निर्वाचित होने के पश्चात् आज तक अपने वार्ड में एक भी विकास कार्य नही करवा सका हूँ। अतः इस पर भी विचार कर लिया जाये।

श्री महेन्द्र पाण्डेय ने कहा कि सुलभ शौचालयों में विद्युत संयोजन न होने की वजह से नागरिकों को असुविधायें हो रही है।

सभापति ने सुलभ शौचालयों में प्रकाश की व्यवस्था कराने तथा नगर निगम सीमा स्थित गाँवों में भी समुचित प्रकाश व्यवस्था कराये जाने के निर्देश दिये।

नगर आयुक्त ने समिति के सदस्यों द्वारा की गई शिकायतों का संज्ञान लेते हुये उनका निस्तारण कराने हेतु विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये साथ ही सभापति को आश्वस्त करते हुये कहा कि शहर एवं नगर निगम सीमान्तर्गत गाँव में प्रकाश की व्यवस्था ई0एस0पी0एल0 द्वारा दूसरे चरण में कराई जायेगी। प्रकाश बिन्दु से छूटे हुये विद्युत खम्भों की संख्या बताने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। शौचालयों की शीघ्र ही विद्युत संयोजन भी कराया जायेगा।

ह0.............महापौर

सभापति ने कहा कि बरसात के मद्दे नजर नालों की सफाई, चोक सीवर, गलीपिटों को साफ करा दिये जाये ताकि क्षेत्रों में जलभराव न हो।

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि गोविन्द नगर स्थित चावला मार्केट वाले नाले की सफाई नही कराई गई है।

श्री अभिषेक गुप्ता ने कहा कि शहर से जानवरों के चट्टे हटाये जाये क्योंकि गोबर के कारण शहर की सीवर लाईने चोंक हो गई है और आवार जानवारों से यातायात बाधित होने के साथ–साथ दुर्घटनायें भी हो रही है।

नगर आयुक्त ने अभियंत्रण विभाग के अभियन्ताओं एवं नगर स्वास्थ्य अधिकारी तथा जेड0एस0ओ0 को निर्देशित किया कि नाला सफाई में पुलिया एवं क्रास में फंसे पर्टिकल्स हटवाये जाये तथा गलीपिट, सीवर चेम्बर की सफाई हेतु नगर निगम स्वास्थ्य विभाग एवं जलकल अभियन्ता आपसी सामन्जस्य बनाकर सफाई कराये तथा चट्टों का चालान भी सुनिश्चित किया जाये, जहाँ आवश्यक हो सुपर सकर मशीन लगाकर चोंक सीवर/डॉट नाला की सफाई कराई जाये। जिसमें नगर निगम के सम्बन्धित जोनल अभियन्ता द्वारा नोट किया जाये कि सुपर सकर मशीन का संचालन कितने घण्टे हुआ।

श्री जे0पी0पाल ने कहा कि नाला सफाई के भुगतान करते हुये क्षेत्रीय पार्षद के संज्ञान में लाया जाये, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि प्रश्नगत नाले की सफाई कराई गई है अथवा नही।

सभापति ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि पार्षदों का फोन तत्काल सुना जाये और तद्नुसार यथासम्भव अपेक्षित कार्यवाही भी कराई जाये। आगामी सावन के महीने में महानगर के शिवालयों के आस–पास सफाई, चूना छिड़काव, प्रतिदिन कूड़ा उठान और मार्गप्रकाश की समुचित व्यवस्था कराई जाये।

नगर आयुक्त ने समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभापति महोदया के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये अन्यथा की स्थिति में प्रतिकूल कार्यवाही की संस्तुति की जायेगी।

श्री अभिषेक गुप्ता ने कहा कि सेवा प्रदाता कम्पनी जे0टी0एन0 द्वारा नगर निगम में रखे गये कार्मिकों का तीन–तीन माह का पारिश्रमिक लम्बित है, जिसका भुगतान सुनिश्चित कराया जाये, क्योंकि कार्मिकों को आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम को सेवा प्रदाता कम्पनी के माध्यम से उपलब्ध कराये गये कार्मिकों के पारिश्रमिक एवं अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में जे0टी0एन0 को वार्ता हेतु शीघ्र ही बुलाया जायेगा।

सभापति ने सभी सदस्यों से आज दिनांक–10.07.2018 को पूर्वान्ह 11:00 बजे नगर निगम मुख्यालय स्थित समिति कक्ष में सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि हेतु अपना–अपना अभिमत व्यक्त करने हेतु कहा।

.... **सभी सदस्यों द्वारा आज दिनांक–10.07.2018 को पूर्वान्ह 11:00 बजे नगर निगम मुख्यालय स्थित समिति कक्ष में सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि गई।**

तद्ोपरान्त सभापति द्वारा बैठक की कार्यवाही के समापन की घोषणा की गई।

ह0.............

(प्रमिला पाण्डेय)
महापौर/सभापति